देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2018/MMP/04

E-Newsletter, Issued in Public Interest

सोमवार, 11 मार्च 2019

राज.उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना का दोषी कौन??

जे.डी.ए. का ज़ोन-7 प्रकरण-2

ज़ोन-7 में आवासीय भूखंडों में शराब की दुकानों की भरमार

अमूमन शहर की हर प्रमुख गली,नुक्कड़,चौराहों पर आपने शराब की दुकाने देखी होगी और शायद आप में से कई लोगो ने इन दुकानों के कारण होने वाली दहशत,परेशानियों को भुगता भी होगा,या अभी भी भुगत रहे होंगे|क्यूंकि इनमे से अधिकतर दुकाने आवासीय कोलोनियों में संचालित है,जो आम लोगो के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है,आवासीय कोलोनियों में होने से इस दुकानों पर शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है,जिसके कारण आये दिन लड़ाई झगडे और महिलाओं,बच्चों से छेड़छाड़ की घटनाएं होती रहती है,आये दिन पुलिस की दबिश होती है जिससे आमजन सहमा रहता है|

सबसे गंभीर बात यह है कि शहर में चलने वाली अधिकतर शराब की दुकाने आवासीय भूखंडों/मकानों में संचालित है जो कि अवैध है और राज. उच्च न्यायालय के आदेशानुसार इन्हें सील/ध्वस्त करना जरुरी है परन्तु लगता है कि इसके विरुद्ध कार्यवाही करने वाले जिम्मेदार बेपरवाह है|ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारों को इसका पता नहीं है,यह जिम्मेदार अधिकारी कई बार इन दुकानों के सामने से निकल जाते है या इन दुकानों से सेवायें ले लेते होंगे परन्तु उनके मन में इन दुकानों को सील/ध्वस्त करने का ना तो कोई विचार आता है और ना भविष्य में इनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए गंभीरता दिखाते है|यद्यपि पिछले साल 2018 में हमारे प्रयासों से अजमेर रोड विपुल मोटर्स के

पास जे.डी.ए. द्वारा एक अंग्रेजी शराब की दूकान को सील किया गया था|परन्तु शहर में शराब की दुकानों को देखते हुए लगता है जे.डी.ए. को आवासीय भूखंडों/मकानों में चलने वाली इन शराब की दुकानों के खिलाफ एक अभियान छेड़ने की जरूरत है|

अवैध निर्माणों को सील/ध्वस्त करने के राज. उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना के लिए जिम्मेदार कौन??

राज.उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन 1554/2004,श्री गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार मामले में दिए गए वृहद आदेश में शहरों के मास्टर प्लान/जोनल प्लानों की पालना के सख्त आदेश पारित किये है|

साथ ही इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी सूरत में आवासीय भूखंडों/मकानों में व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित नही की जायेगी,यदि की जाती है तो ज़ोन उपायुक्त/प्रवर्तन अधिकारी द्वारा उनके खिलाफ सीलिंग/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही अंजाम में लायी जायेगी|

ज़ोन-7 के अधिकारी राज.उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन 1554/2004,श्री गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार मामले में दिए गए वृहद आदेश से बेखबर

परन्तु लगता है ज़ोन-7 के दोनों प्रमुख अधिकारी;श्रीमान उपायुक्त साहब और श्रीमान प्रवर्तन अधिकारी साहब, राज.उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन 1554/2004,श्री गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार मामले में दिए गए वृहद आदेश से बेखबर है|क्यूंकि जब इन दोनों अधिकारीयों से सूचना के अधिकार के तहत इस आदेश के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी चाही गयी तो दोनों अधिकारियो द्वारा इस आदेश के बारे में किसी प्रकार की जानकारी या इस सम्बन्ध में जे.डी.ए. के उच्च अधिकारियों द्वारा जारी किसी प्रकार के निर्देशों की जानकारी होने से इनकार कर दिया और सम्बंधित सूचनाएं देने में असमर्थता जताई|अमूमन यही हालात जे.डी.ए. के अन्य ज़ोन के अधिकारियों की भी है|

इस से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब इन अधिकारीयों को इस महत्वपूर्ण आदेश की जानकारी ही नहीं है तो किस प्रकार जयपुर शहर को अवैध निर्माणों से मुक्ति मिलेगी|

ज़ोन में अवैध निर्माण होने पर ज़ोन उपायुक्त और प्रवर्तन अधिकारी की ACR में नकारात्मक टिप्पणी अंकित करने के है आदेश

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 27/09/2012(संलग्न) के अनुसार, किसी ज़ोन में अवैध निर्माण/अतिक्रमण/आवासीय में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन होना पाए जाने पर, सम्बंधित ज़ोन के उपायुक्त,प्रवर्तन अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लायी जाकर,उनकी ACR में नकारात्मक टिप्पणी अंकित करने के आदेश दिए गए है|

मोटे किराए के लालच में दे देते है किराए के लिए

सामाजिक दबावों एवं लोक लाज के कारण सामान्य व्यक्ति अपनी प्रोपर्टी को शराब की दूकान के लिए किराए पर नहीं देते है,इस कारण भू माफिया और असामाजिक तत्व ही इस प्रकार के कार्यों में लिप्त रहते है|जिस कारण इन दुकानों का किराया 70 हजार से 150000 रूपये महीना तक है|

आबकारी के नियमों के अनुसार शराब की दूकान का व्यावसायिक होना आवश्यक नहीं|

आबकारी विभाग के नियमों में इन दुकानों के लिए व्यावसायिक दुकान होने की अनिवार्यता नहीं होने से,वह इन दुकानों के लिए आवासीय क्षेत्र में भी अनुमति प्रदान कर देते है जिस कारण इन लोकेशन पर शराब की दूकान लगाने में कोई दिक्कत नहीं आती है|जे.डी.ए. में शिकायत करने पर वहां के अधिकारी मैनेज कर लिए जाते है|

कार्यवाही नहीं होने से तेजी से बढ़ रही है आवासीय पर व्यावसायिक गतिविधियाँ|

जिम्मेदारों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से अवैध निर्माण कर,आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक निर्माण करने वालो की हिम्मत दिनोंदिन बढती जा रही है,यहाँ तक की सरकारी जमीन पर कब्जा कर वहां भी शराब के ठेके बना लिए गये है|

जे.डी.ए. के जोन-7 में भरी पड़ी है आवासीय भूखंडों पर शराब की दुकाने

यदि हम जे.डी.ए. के जोन-7 में ही नजर दौडाएं तो यहाँ पर करीब 12-15 शराब की दुकाने संचालित है जिसमे से 10 दुकाने आवासीय भूखंडों/मकानों में संचालित है|जो कि आम जन की परेशानी का सबब बनी हुई है|स्थानीय निवासियों द्वारा इन दुकानों की कई बार शिकायत भी की गयी परन्तु इन शराब लायिसेंसियों के रसुखातों के चलते इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी|

गांधी पथ पर 200 फिट बाई पास के पास दूकान

175 वैभव नगर,200 फिट बाईपास,गांधी पथ पर चलती देसी शराब की दूकान

गाँधी पथ पर पटियाला हाउस के पास दूकान

नर्सरी सर्किल और 200 फिट बाईपास के बीच,आम्रपाली मार्ग पर दूकान

गांधी पथ पर भरत अपार्टमेंट के पास दूकान

गांधी पथ पर 200 फिट बाई-पास के पास,सिरसी रोड परदूकान

जनक मार्ग के पास,सिरसी रोड पर दूकान

खातीपुरा तिराहे के पास ,सिरसी रोड

जोधपुर मिस्ठान भण्डार के पास,खातीपुरा रोड पर दूकान

क्रींस रोड पर राठौड़ नगर के पास दूकान